बरकतउल्ला विश्वविद्यालय, भोपाल

क्रमांक 3230 / अकादमी / संबंद्वता / विधि / 2022 भोपाल, दिनांक 03.10.22

अधिसूचना

बार कौंसिल आफ इंडया (बी.सी.आई.) जारी निर्देशों (विद्या परिषद की स्थाई समिति की बैठक दिनांक 09.06.2017 में अनुशंसित) के तारतम्य में जारी विश्वविद्यालय की अधिसूचना क्रमांक 2922/अकादमी/2017 दिनांक 14.07.2017 के अनुसार सर्व संबंधितों को सूचित किया जाता है कि विधि पाठ्यक्रत एल.एल.बी.I,II,III, बी.ए.एल.एल बी (ऑनर्स) भाग I,II,III,IV,V.एल.एल.एम.I,II सत्र 2023-24 के लिए नवीन विधि महाविद्यालयों एवं पूर्व से संचालित शासकीय/अशासकीय विधि महाविद्यालयों की अस्थाई संबद्धता/अस्थाई संबद्धता की निरंतरता हेतु विश्वविद्यालय मे शुल्क जमा करने की निर्धारित तिथि एवं अन्तिम तिथियाँ निमनानुसार है।

1	नवीन विधि महाविद्यालयों एवं नवीन विधि पाठ्यक्रमों के लिए संबद्धता शुल्क एवं निरीक्षण शुल्क 18प्रतिशत जी.एस.टी के साथ आवेदन तिथि	दिनांक 03.10.2022 से 17.10.2022
-	नवीन विधि महाविद्यालयों एवं नवीन विधि पाठ्यक्रमों के लिए संबद्धता आवेदन तिथि (मूल शुल्क का **50%** बिलम्ब शुल्क के साथ) 18प्रतिशत जी.एस.टी के साथ	दिनांक 18.10.2022 से 30.10.2022 तक
2	पूर्व संचालित शासकीय/अशासकी विधि महाविद्यालयों विधि पाठ्यक्रमों अस्थाई संबद्धता की निरंतरता /अस्थाई संबद्धता हेतु शुल्क एवं निरीक्षण शुल्क 18प्रतिशत जी.एस.टी के साथ आवेदन तिथि	दिनांक 03.10.2022 से 17.10.2022
-	पूर्व संचालित शासकीय/अशासकी विधि महाविद्यालयों विधि पाठ्यक्रमों अस्थाई संबद्धता की निरंतरता /अस्थाई संबद्धता हेतु आवेदन तिथि (मूल शुल्क का **50%** बिलम्ब शुल्क के साथ)18प्रतिशत जी.एस.टी के साथ	दिनांक 18.10.2022 से 30.10.2022 तक

विद्यापरिषद की स्थाई समिति की बैठक दिनांक 05.8.2019 मे की गई अनुशंसा यदि निर्धारित तिथि में शुल्क जमा नहीं की जाती है तो मूल शुल्क का 50 प्रतिशत विलम्ब शुल्क 18 प्रतिशत जी.एस.टी.के साथ वि.वि. मे जमा करने का निर्णय लिया गया। समस्त संबंद्धता/ निरंतरता शुल्क संबंधि आवेदन ऑनलाईन ही स्वीकार किए जावेंगे। समस्त आवेदन शुल्क (निर्धारित प्रपत्र) में आवश्यक अभिलेख एवं निर्धारित शुल्क सहित 7 दिवस में प्रस्तुत करना अनिवार्य है। संबद्धता प्रदान करने के उपरांत आगामी शिक्षण सत्र प्रारंभ होने के पूर्व आयुक्त उच्च शिक्षा विभाग म.प्र.शासन भोपाल एवं बी.सी.आई. नई दिल्ली की सत्र 2023-24 की मान्यता विश्वविद्यालय में प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा। एवं शासकीय/अशासकीय विधि महाविद्यालयों मे संचालित विधि पाठ्यक्रमों मे कालेज कोड-28 के तहत नियुक्त प्राचार्य, प्राध्यापक, सहायक प्राध्यापकों की नियमानुसार नियुक्ति वि.वि.द्वारा जारी अधिसूचना के तहत सत्यापित सूची प्रस्तुत किया जाना अनिवार्य होगा अन्यथा कोई भी प्रवेश मान्य नहीं होंगे।

आदेशानुसार

कुलसचिव

पृ. क्र.3231/ अकादमी / संबद्वता / 2022 भोपाल, दिनांक 03.10.22

प्रतिलिपि :

1- बरकतउल्ला विश्वविद्यालय, भोपाल से संबद्ध समस्त शास. एवं अशा. विधि महाविद्यालयों के प्राचार्य की ओर पालनार्थ।
2- अवर सचिव उच्च शिक्षा विभाग मंत्रालय, भोपाल की ओर सूचनार्थ।
3- आयुक्त उच्च शिक्षा विभाग सतपुडा भवन भोपाल की ओर सूचनार्थ।
4- सचिव, बार कॉउशिल ऑफ इण्डिया 21 रोज इवेन्यू इन्टीट्यूशनल ऐरिया नई दिल्ली-110002
5- कुलपतिजी / कुलसचिवजी के निज सचिव के माध्यम से सूचनार्थ प्रेषित
6- उपकुलसचिव परीक्षा / गोपनीय विभाग बरकतउल्ला विश्वविद्यालय, भोपाल
7- वेबसाईट प्रभारी, उपरोक्त अधिसूचना को बेबसाईट पर अपलोड करने की कार्यवाही सुनिश्चित करें।
8- संबंधित नस्ती।

उप-कुलसचिव, अकादमी